

तार : 'फूडकॉर्प'
Gram : 'FOODCORP'
फैक्स नं. : एचएफसीआई एनडी
००६९९९२३४९३२४९
००६९९९२३४९३९६२

भारतीय
खाद्य
निगम



FOOD
CORPORATION
OF INDIA

मुख्यालय
नई दिल्ली
Headquarters
New Delhi

FAX NO. : HFCI ND

00911123413241

00911123413162

१६-२०, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली-११०००९, दूरभाष-४३५२७६६७, ४३५२७६६८
16-20, BARAKHAMBA LANE, NEW DELHI-110001, PHONE : 43527697, 43527698

सं. ई.-4(321)/भं.िव/पी.ई.जी./कॉम्पोनेन्ट-बी/2012

दिनांक: 16.11.2015

CIRCULAR/ परिपत्र

विषय : Regarding payment of rent to the godown owner(s) for the godowns hired under PEG Scheme on Lease & Services basis.

इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 12-02-2015 का सन्दर्भ लें जिसके द्वारा किसी तरह की अस्पष्टता से बचने के लिए यह निर्णय लिया गया था कि भण्डारण एवं अनुबंध विभाग, भा.खा.नि. मुख्यालय द्वारा अद्यतन WPI तथा किराये की दर में वृद्धि हेतु Monthly Factor जारी किया जाएगा.

इस सम्बन्ध में यह पाया गया है कि यदि अद्यतन WPI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की वर्तमान वेबसाइट लिंक dbie.rbi.org.in के WPI Monthly शीर्ष से डाउनलोड की जाये तो किसी भी प्रकार की अस्पष्टता से बचा जा सकता है.

अतः यह उचित होगा कि क्षेत्रीय कार्यालय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट से अद्यतन WPI की दर डाउनलोड कर दिनांक 12.02.2015 के परिपत्र में दिए गए निर्देशानुसार किराये की दर में वृद्धि हेतु Monthly Factor की गणना करें और उसके अनुसार लीज एवं सर्विस वाले गोदामों के किराये में वार्षिक वृद्धि को विनियमित करें.

लीज एवं सर्विस वाले गोदामों में किराये में वार्षिक वृद्धि के लिए अन्य दिशानिर्देश पूर्ववत् रहेंगे.


(असीम छाबड़ा)

महाप्रबंधक (भं. एवं अनु.)

वितरण: -

1. संयुक्त सचिव (भंडारण), उपभोक्ता मामले तथा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली.
2. कार्यकारी निदेशक (अंचल), भा.खा.नि., आंचलिक कार्यालय, नाँएडा/ मुंबई/ कोलकता/ चेन्नई/ गुवाहाटी.
3. प्रबंध निदेशक, केंद्रीय भण्डारणनिगम, 4/1, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, हौज़ खास, नई दिल्ली.
4. महाप्रबंधक (क्षेत्र), भा.खा.नि., क्षेत्रीय कार्यालय, पटना/ गुवाहाटी/ पंचकुला/ जम्मू/ जयपुर/ अहमदाबाद/ हैदराबाद/ शिमला/ चंडीगढ़/ लखनऊ/ मुंबई/ बेंगलोर/ चेन्नई/ देहरादून/ रांची/ भोपाल/ रायपुर/ कोलकता/ त्रिवेंद्रम/ शिल्लोंग/ दीमापुर/ इम्फाल/ ईटानगर --- इस अनुरोध के साथ कि इस परिपत्र को सभी संबंधित अधिकारी/नोडल अधिकारी को अवगत कराए।